राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/43082 दिनांक: 15/06/2020

अधिसूचना

पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 25.02.2006, 15.07.2003 व 01.03.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (सन् 2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान में कार्यरत किराया अधिकरण, जयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए, किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय निर्धारित करती है एवं उक्त अधिनियम के तहत् प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को किराया अधिकरण के रूप में गठित कर क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजि. संख्या 1, जयपुर महानगर-प्रथम	किराया अधिकरण संख्या 1, जयपुर महानगर – प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत् जयपुर महानगर– I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
2.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजि. संख्या 5, जयपुर महानगर–प्रथम	किराया अधिकरण संख्या 2, जयपुर महानगर – प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत् जयपुर महानगर– I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
3.	किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय	किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत् जयपुर महानगर–II न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र

नोट:– क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लेखित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–I द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

15/6/20

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/822 **Date:.26/06/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan-I & II.
3. The Chief Metro. Magistrates, Jaipur Metropolitan-I & II.
4. The Add. Sr. Civil Judge & ACMM-1 & 5, Jaipur Metropolitan-II
5. Rent Tribunal, Jaipur Metropolitan-II
6. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics, Rajasthan High Court, Jodhpur.
7. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

26.6.2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 19 / 43063 दिनांकः 15/06/2020

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 15.07.2003 व दिनांक 01.03.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील किराया अधिकरण, जयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम निर्धारित करती है तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को भी अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर–द्वितीय के रूप में गठित करती है तथा इनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:–

क्र.सं.	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर– I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
2.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर–द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर– II न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/823 **Date: 26/06/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan-I & II.
3. The Appellate Rent Tribunal, Jaipur Metropolitan-I & II.
4. The Chief Metro. Magistrates, Jaipur Metropolitan-I & II.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur.
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

26.6.2020
REGISTRAR (RULES)